

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

गि0न0 - 19/2025

अनगान : -

1. सुखवीर पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
:-वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गीमादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सावित्री पुत्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. कमलेश पुत्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. गिमादेवी पुत्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही गोजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 147 के मु0 न0 59 के किला न0 3/1 की 0.228है0 नहरी, 3/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, 4/1 की 0.228है0 नहरी, 4/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, 6 ता 8, 13 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, 19/2 की 0.201है0 नहरी, 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, मु0 न0 60 के किला न0 10, 11, 20 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल 4.5020है0, जिसमें नहरी 4.4520है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 में प्रतिवादी सं0 1 कन्हैयालाल के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 10 के मु0 न0 44 के किला न0 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, मु0 न0 59 के किला न0 5/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 5/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला कुल 1.012है0 जिसमें नहरी 0.987है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0 प्रतिवादी सं0 1 कन्हैयालाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 कन्हैयालाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुखवीर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के, उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

मालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

दिनांक - 19/2025

मान : -

1. सुखवीर पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट निवासी आंसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़ :- वादी

वनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी आंसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मीमादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति जाट निवासी आंसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सावित्री पुत्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी आंसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. कमलेश पुत्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी आंसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. विद्यादेवी पुत्री कन्हैयालाल जाति जाट निवासी आंसल त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री लीलाचर अग्रवाल वादी

श्री सुरेन्द्र गडवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 4/3/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 147 के मु0 न0 59 के किला न0 3/1 की 0.228 है0 नहरी, 3/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 4/1 की 0.228 है0 नहरी, 4/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 6 ता 8, 13 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, 19/2 की 0.201 है0 नहरी, 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, मु0 न0 60 के किला न0 10, 11, 20 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी कुल 4.5020 है0, जिसमें नहरी 4.4520 है0, गै0 मु0 खाला 0.0500 है0 में प्रतिवादी सं0 1 कन्हैयालाल के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 10 के मु0 न0 44 के किला न0 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, मु0 न0 59 के किला न0 5/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 5/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला कुल 1.012 है0 जिसमें नहरी 0.987 है0, गै0 मु0 खाला 0.025 है0 प्रतिवादी सं0 1 कन्हैयालाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 1 जेएसएल वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की सहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 1 जेएसएल के खाता सं० 147 के मु० न० 59 के किला न० 3/1 की 0.228है० नहरी, 3/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, 4/1 की 0.228है० नहरी, 4/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, 6 ता 8, 13 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, 19/2 की 0.201है० नहरी, 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 60 के किला न० 10, 11, 20 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल 4.5020है०, जिसमें नहरी 4.4520है०, गै० मु० खाला 0.0500है० में प्रतिवादी सं० 1 कन्हैयालाल के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही मोजा चक 1 जेएसएल के खाता सं० 10 के मु० न० 44 के किला न० 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 59 के किला न० 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला कुल 1.012है० जिसमें नहरी 0.987है०, गै० मु० खाला 0.025है० प्रतिवादी सं० 1 कन्हैयालाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं० 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं० 1 के नाम रोही चक 3 जेएसएल के खाता सं० 10 की कुल 2.5300है० यथावत रखी जावे। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 1 जेएसएल के खाता सं० 147 के मु० न० 59 के किला न० 3/1 की 0.228है० नहरी, 3/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, 4/1 की 0.228है० नहरी, 4/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, 6 ता 8, 13 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, 19/2 की 0.201है० नहरी, 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 60 के किला न० 10, 11, 20 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल 4.5020है०, जिसमें नहरी 4.4520है०, गै० मु० खाला 0.0500है० में प्रतिवादी सं० 1 कन्हैयालाल के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही मोजा चक 1 जेएसएल के खाता सं० 10 के मु० न० 44 के किला न० 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 59 के किला न० 5/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.025है० गै० मु० खाला कुल 1.012है० जिसमें नहरी 0.987है०, गै० मु० खाला 0.025है० प्रतिवादी सं० 1 कन्हैयालाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 कन्हैयालाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुखवीर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...५/३/२५... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान)